न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर जिला अजमेर

प्रार्थना पत्र सं. 18/2016

1.श्री रोडू बंजारा पुत्र श्री काना बंजारा नि0 आजाद नगर, कुंभा सर्किल भीलवाडा।
2.श्री किशन प्रताप बंजारा निवासी चन्द्रशेखर आजाद नगर, भीलवाडा।

.....**प्रार्थीगण**

बनाम

राज सरकार जरिये पुलिस थाना ब्यावर सदर जिला अजमेर।

.....**अप्रार्थी**

प्रार्थना पत्र वास्ते सुपुर्दगी अन्तर्गत धारा 7 राजस्थान गोवंशीय पशु (वद्य का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियम) अधिनियम,1995

उपस्थित :— 1. श्री वैभव जैन, अभिभाषक प्रार्थीगण
2. पैरोकार सरकार

आदेश **दिनांक— 24.08.2016**

प्राथीगण, अभिभाषक प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 7 गौवंशीय पशु अधिनियम 1995 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण के गौवशं 51 बछडे पुलिस थाना ब्यावर सदर जिला अजमेर द्वारा प्रथम सूचना संख्या 182/16 अन्तर्गत धारा 3,5,8,9 राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रवजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995 के तहत जब्त कर गौशाला ब्यावर को सुपुर्द किया गया है। जब्त गौवशं में प्रार्थी सं0 1 के 26 बछडे (बैल) तथा प्रार्थी सं0 2 के 25 बछडे (बैल) है। प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 24.5.2016 को उक्त गौवशं बछडे ग्राम पंचायत पीसांगन के खाकी जी पशु मेले से कृषि कार्य हेतु राशि क्रमशः 1,15000/— एवं रूपये— 1,10,000/— में खरीद किये गये थे, जो ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र से साबित है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त बछडे पशु मेला खाकी जी महाराज पीसांगन के मेले से खरीद कर भीलवाडा ले जाये जाने दौरान पुलिस द्वारा गलत फहमी में कार्यवाही की गई है। प्रकरण में मुल्जिम जमानत पर रिहा हो चुका है तथा एक ट्रक भी न्यायालय द्वारा सुपुर्दगीनामें पर छोडा जा चुका है, कोई तफतीश शेष नहीं है। प्रार्थीगण उक्त बछडों के सम्बन्ध में मान0 न्यायालय की प्रत्येक शर्ते व आदेशों की पालना करने को तैयार हैं। अतः प्रार्थी सं0 1 के 26 बछडे (बैल) तथा प्रार्थी सं0 2 के 25 बछडे(बैल) को सुपुर्दगी नामें पर छोडे जाने के आदेश प्रदान करावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर थानाधिकारी ब्यावर सदर से पैरावाइज टिप्पणी मय केस डायरी तलब की गई। टिप्पणी मय केस डायरी प्राप्त होने पर प्रकरण वास्ते सुनवाई नियत किया गया। उपस्थित को सुना गया।

24/8/16
जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

उपस्थित अभिभाषक प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र तथ्यों को दोहराते हुए मुख्यतः कथन किया कि प्रार्थीगण द्वारा गौवशं 51 बछडे (बैल) पशु मेला खाकी जी महाराज पीसांगन से खरीद कर भीलवाडा ले जाने दौरान पुलिस थाना ब्यावर सदर जिला अजमेर द्वारा जब्त किया गया है। प्रार्थीगण जब्त शुदा बछडों के मालिक है। जब्त गौवशं में प्रार्थी सं0 1 द्वारा 26 बछडे(बैल) तथा प्रार्थी सं0 2 द्वारा 25 बछडे (बैल) दिनांक 24.5.2016 को ग्राम पंचायत पीसांगन के खाकी जी पशु मेले से कृषि कार्य हेतु राशि क्रमशः 1,15000/– एवं रूपये– 1,10,000/– में खरीद किये गये जो प्रस्तुत ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र से साबित है। जब्त बछडों को गौशाला ब्यावर में अमानत के तौर पर सुपुर्द किया गया है। जिला मजिस्ट्रेंट, राजसमन्द के आदेश दिनांक 22.03.2005 अनुसार राजस्थान की सीमा में परमिट की आवश्यकता नहीं है। प्रकरण में मुल्जिम न्यायालय से रिहा हो चूका है तथा ट्रक भी न्यायालय द्वारा सुपुर्दगी नामें पर छोडा जा चूका है। प्रकरण में कोई तफतीश शेष नहीं है। प्रार्थीगण मान0 न्यायालय की प्रत्येक शर्ते व आदेशों, अन्डरटेंकिग, जमानत आदि की पालना करने को तैयार हैं। अतः जब्त गौवंश 51 बछडे(बैल) प्रार्थीगण को सुपुर्दगीनामें पर छोडने का आदेश न्यायाहित में प्रदान करावें।

पैरोकार सरकार का कथन है कि दिनांक 25.05.2016 को मुखबिर खास की सूचना पर पुलिस, थाना सदर ब्यावर द्वारा खरवा बस स्टैण्ड पर की गई नाकाबन्दी दौरान रात्रि 1.40 बजे ब्यावर की तरफ से आ रहे ट्रक नं0 आर.जे..27 जी.ए. 6931 एवं आर जे 06 जी.ए.0607 को रोके जाने पर पीछे चल रहे ट्रक संख्या आर जे 06 जी.ए.0607 का चालक ट्रक छोडकर मौके से फरार हो गया। दोनो ट्रक को चैक किये जाने पर दोनो ट्रको में गाय के बछडों के पैर एवं मुँह रस्सियों से बॉध कर दो पाटेशन में ठूस ठूस कर भर रखा था। ट्रक सं0 आर.जे.. 27 जी.ए. 6931 के चालक शंकर पुत्र भैरू जाति गुर्जर उम्र 20 वर्ष निवासी देवलिया सिंगोली थाना बिगोद जिला भीलवाडा को, गौवशं परिवहन करने का अधिकार पत्र नहीं होना बताये जाने पर ट्रक सं0 आर.जे..27 जी.ए. 6931 से कुल 23 बछडे लाल एवं भूरे रंग के तथा ट्रक संख्या आर जे 06 जी.ए.0607 से 28 बछडे कुल 51 बछडो को धारा 3,5,8,9 राजस्थान गौवशं अधिनियम 1995 की हद तक पाये जाने पर जरिये फर्द जब्त किया गया। चारे पानी एवं रख रखाव की व्यवस्था के मध्यनजर जब्त 51 बछडों को प्रबन्धक, तिजारती गौशाला ब्यावर की सुपुर्दगी में दिये गये। मुलज्मिान के विरूद्ध मुकदमा सं. 182/2016 अन्तगर्त धारा 3,5,8,9 राज0गौ वंश अधिनियम 1995 के तहत दर्ज किया गया। पुलिस अनुसंधान में मुल्जिमान शंकर, रतनलाल, श्यामलाल के विरूद्ध धारा 3,5,8,9 राज0गौ वंश अधिनियम 1995 के तहत अपराध प्रमाणित पाया गया है। मुल्जिम रतनलाल को पुलिस थाना बिगोद से तफतीश कर गिरफ्तार किया गया। प्रकरण में फरार चालक मुल्जिम श्यामलाल की गिरफतारी शेष है। न्यायालय ट्राईल जारी है। राजस्थान गौवंशीय (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995 की धारा 2 के (छ) में सक्षम अधिकारी से किसी जिले का कलक्टर अभिप्रेत है। धारा 7 अभिग्रहित गौवंशीय पशु की अभिरक्षा और निपटारा के तहत् अभिग्रहित गौवंशीय पशुओं की अन्तरिम अभिरक्षा के बारे में

24/08/16

जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

प्रावधान किया गया है जिसमें निम्नांकित में से किसी को सुपुर्द किया जा सकता है :–

1– गौवंशीय पशुओं के कल्याण के लिये कार्यरत मान्यता प्राप्त स्वैच्छिक संगठन या एजेन्सी

2– राजस्थान गौशाला अधिनियम 1960 के उप बन्धों के अधीन शासित गौशाला

3– ऐसा कोई गौ–सदन अथवा

4– इन तीनों के अभाव में किसी भी अन्य एजेन्सी गौशाला, गौ–सदन या अन्य उपयुक्त व्यक्ति को।

चूंकि अधिनियम की धारा 7 के तहत् जिन संस्था को गौवंश सौंपा जाने के प्रावधान किये गये है उनमें प्रार्थीगण जो कि न तो उक्त गौवंश के मालिक स्पष्ट है और ना ही वो गौशाला गो–सदन आदि के संचालक है। उक्त 51 गौवशं बछडे को बिना टी.पी. व परमिट के ट्रक नं0 आर.जे..27 जी.ए. 6931 एवं आर जे 06 जी.ए.0607 में कूरता पूर्वक बिना चारा पानी की व्यवस्था के मूँह व गले रस्से से बॉध ठसाठस भर कर ले जाने दौरान पुलिस थाना ब्यावर सदर द्वारा जब्त किया गया है। प्रार्थी उपरोक्त प्रावधानों के तहत् उपयुक्त व्यक्ति भी प्रतीत नहीं होता है। इसको गौवंश सौंपने पर इनके खुर्द बुर्द होने अथवा वध किये जाने की सम्भावना है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

हमने कथनों पर मनन किया रेकार्ड पत्रावली का मय केस डायरी अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि पुलिस थाना ब्यावर सदर द्वारा मुल्जिमान को बिना लाइसेन्स., परमीट एवं बिना किसी भी दस्तावेज के ट्रक सं0 आर.जे..27 जी.ए. 6931 एवं आर जे 06 जी.ए.0607 से गौवंश 51 बछडों को बिना चारे पानी की व्यवस्था के, मूँह व गले रस्से से बॉधकर ठसाठस भरकर परिवहन कर ले जाते हुये पकडा है। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत ग्राम पंचायत पीसांगन की (खाकी जी पशु मेला की रवाना फीस,जुमाना,सफेद चिठ्ठी की) चार रसीदे क्रमशः 1151 दिनांक 23.5.2016 में बैल 5 नग पचरंगा लाल, 1152 दिनांक 23.5.2016 में बैल नग 6 पचरंगा लाल तथा रसीद क्रमांक 1171 दिनांक 24.5.2016 में 20 बैल पचरंगा एवं 1176 दिनांक 24.5.216 में 20 बैल पचरंगा अंकन है। इस प्रकार 40 बैल पंचरगा एवं 11 बैल पचरंगा लाल होने का अंकन है। पुलिस थाना सदर ब्यावर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट अनुसार 23 **बछडे** लाल एवं भूरे रंग के एवं 28 **बछडे** अन्य जब्त किये जाने का अंकन दर्ज है। जबकि ग्राम पंचायत पीसांगन की उक्त रसीदों में **बैलो** का अंकन दर्ज है एवं दर्ज रंगों में भी विरोधाभास है। ग्राम पंचायत पीसांगन द्वारा जारी प्रमाण पत्र में बैलो का रंग एवं प्रत्येक बैल की किंमत का अंकन दर्ज नहीं है। गौशाला मैनेजर द्वारा जारी प्राप्ति रसीद में भी 23 एवं 28 कुल 51 बछडे जिनका रंग पीला एवं एक–दो सफेद रंग के होने का अंकन है। मुल्जिमान शंकर एवं रतनलाल द्वारा जब्ती कार्यवाही एवं पुलिस तफतीश दौरान उक्त बछडो के खाकी जी पशु मेला से खरीदने बाबत के किसी प्रकार के कोई दस्तावेज/प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर बछडे चितौडगढ ले जाना एवं दस्तावेज नहीं होने का कथन किया गया है। प्रार्थीगण श्री रोडू पुत्र काना बंजारा नि0 भीलवाडा एवं श्री किशन/प्रताप बंजारा नि0 भीलवाडा जब्त गौवशं 51 बछडो के मालिक होने के कथन न तो प्रथम सूचना रिपोर्ट में दर्ज है न ही मुल्जिमान शंकर एवं रतनलाल के बयानात में दर्ज है। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

24/08/16
जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

उक्त बछडो को भीलवाडा ले जाने के कथन दर्ज किये है जब कि मुल्जिमान ने पुछताछ एवं बयानों में जब्त बछडो को चितौडगढ ले जाने के कथन दर्ज करवाये है। पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्रों में कुल **51 बैल** कृषि कार्य हेतु क्रय किये जाने का उल्लेख है, इस हेतु प्रार्थीगण द्वारा कृषि भूमि होने सम्बन्धी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये है। पुलिस द्वारा किये गये अनुसंधान दौरान भी प्रार्थीगण द्वारा गोवंश (बछडे/बैल) का मालिकाना हक सिद्व नहीं किया गया है। उपरोक्त तथ्यों एवं विवेचनानुसार प्रार्थीगण के कथन स्पष्ट नहीं है। जिस स्थिति में उक्त गोवंश बछडो को पुलिस द्वारा जब्त किया गया है उससे इन्हे कटने के लिये अन्यत्र ले जाना स्पष्ट है। जब्तशुदा बछडो की देखरेख/चारे पानी की सुचारू व्यवस्था हेतु गौशाला, ब्यावर में अस्थाई सुपुर्दगी पर छोडा गया है। पुलिस अनुसंधान में मुल्जिमान के विरूद्व राजस्थान गौ वंशीय पशु(वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995 की धारा 3,5,,8,9के तहत अपराध प्रमाणित पाया गया है। उक्त अधिनियम की धारा 7 में उल्लेखित प्रावधानों के तहत् जिन्हें अभिगृहित गौवंशीय पशुओं की अन्तरिम अभिरक्षा हेतु सुपुर्द किया जा सकता है उसमें गौवंशीय पशुओं के कल्याण के लिये कार्यरत मान्यता प्राप्त स्वेच्छिक संगठन या एजेन्सी, राजस्थान गौशाला अधिनियम 1960 के उपबन्धों के अधीन शासित गौशाला ऐसा कोई गौसदन, अथवा इन तीनों के अभाव में किसी भी अन्य एजेन्सी गौशाला, गौसदन या अन्य उपयुक्त व्यक्ति को सौंपने के प्रावधान है। चूंकि प्रार्थीगण उपरोक्त में से कोई भी नहीं है इसलिये प्रार्थीगण को उपरोक्त गौवंशीय पशु (बछडे/बैल) अन्तरिम अभिरक्षा के लिये सुपुर्दगी प्राप्ति का उपयुक्त पात्र व्यक्ति नहीं पाये जाने से अभिगृहित गौवंश इन्हें सुपुर्द किया जाना न्यायहित में उचित नहीं है लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र उक्त तथ्यों के मद्देनजर अस्वीकार कर खारिज किया जाता हैं।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 24.08.2016 को सरे इजलास सुनाया गया।

(गौरव गोयल)
जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner